रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122021-231776 CG-DL-E-10122021-231776

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2021/अग्रहायण 19, 1943
No. 690]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2021/AGRAHAYANA 19, 1943

# गृह मंत्रालय

## (राजभाषा विभाग)

# शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

सा.का.िन. 849(अ).—भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) मे प्रकाशित की गई भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिनांक 12 नवंबर, 2021 की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि . 793(अ ) में हिन्दी पाठ को निम्नलिखित पढ़ा जाए :-

(i)	पृष्ठ संख्या 15 पर पैराग्राफ 6 के अंतर्गत शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव के अंतर्गत , (ख) (ii ) की तीसरी
	पंक्ति में "3 वर्ष " के स्थान पर "3 वर्ष का अनुभव "
(ii)	पृष्ठ संख्या 16 पर पैराग्राफ 8 में "अनुसूची VI" के स्थान पर "अनुसूची VII"
(iii)	पृष्ठ संख्या 17 पर पैराग्राफ 8 में (क) अनिवार्य (I) शैक्षणिक अर्हताएं के अंतर्गत 8(ii) की दूसरी पंक्ति में
	"राज्य सरकार ने " के स्थान पर "राज्य सरकार में"

[फा. सं. 1/1/2016-रा. भा. (सेवा)] डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव